(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4395 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–9–2017 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 5/अपील/2016–17.

श्रीमती गंगाबाई बेवा किशनलाल
निवासी उमरावगंज
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन
2– रामशरण आचार्य, पटवरी हल्का नं. 19
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

गुलाब चौहान, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम उमरावगंज स्थित खसरा नम्बर 130 रकबा 0.129 हेक्टेयर नोईयत गोहा में से रकबा 0.024 पर आवेदिका द्वारा अतिक्रमण किये जाने संबंधी प्रतिवेदन पटवारी हल्का नम्बर 19 द्वारा तहसीलदार, गौहरगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–68/2013–14 दर्ज कर दिनांक 30–12–13 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदिका को बेदखल कर 500/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–7–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक

11–9–2017 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका अशिक्षित 73 वर्षीय बृद्ध महिला है और उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य ग्रामवासियों की तरह वर्ष 1970 से कच्चा मकान बनाकर अपने परिवार के साथ निवास करती आ रही है । सर्वे कमांक 130 पर पूर्णतः बसाहट है, जिसके दोनों तरफ किनारे–किनारे 10–15 मकान बने हुए है । ग्राम के किसी भी व्यक्ति या रास्ते से आने–जाने वाले ग्राम के किसी भी राहगीर को कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही है । इस संबंध में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 11–11–2014 व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज पंचनामा, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, जो अभिलेख पर संलग्न है, अवलोकनीय हैं ।

(2) आवेदिका भूमिहीन वृद्ध विधवा महिला है और उसके पास उक्त मकान व जगह के अलावा अन्य कोई शासकीय का निजी भूमि या मकान नहीं है । आवेदिका द्वारा आवासीय मकान के सामने खाली जगह पर शासन द्वारा स्वीकृत राशि से शौचालय का निर्माण कराया गया था ।

(3) आवेदिका द्वारा अपनी मेहनत की कमाई से रहवासी मकान बनवाया एवं मकान के सामने दूसरी तरफ खाली जगह के अंश भाग पर हैण्डपम्प लगवाया ताकि वह स्वयं तथा पड़ोसी पीने के पानी का उपयोग कर सके, परन्तु हल्का पटवारी एवं तत्कालीन सरपंच के पित द्वारा मिली भगत कर षडयंत्रपूर्वक उसके पीठ पीछे उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के आवेदिका का रहवासी मकान तोड़ दिया गया है । इस संदर्भ में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पंचनामा एवं प्रतिवेदन दिनांक 26–11–2013, जो अभिलेख पर हैं, अवलोकनीय हैं ।

(4) तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 4–10–2013 में प्रकरण दर्ज कर आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का आदेश पारित किया गया है, किन्तु आवेदिका को कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी ही नहीं किया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा उसे अतिक्रमणकारी मानकर उसका रहवासी मकान, शौचालय एवं

हैण्डपम्प तोड़कर भूमि रिक्त करवाना किस न्याय का अंग है, जबकि म.प्र. शासन द्वारा पूर्व से रह रहे (आबादी) रहवासियों के मकान का पट्टा वितरण कर उन्हें उसी स्थान पर रहने की अनुमति प्रदान करती है तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत अभियान चला रही तो दूसरी ओर सरपंच पति एवं हल्का पटवारी द्वारा बगैर आदेश के आवेदिका को अतिक्रमणकारी बताकर उसका शौचालय एवं मकान तोड़ रहे हैं ।

(5) आवेदिका का रहवासी मकान, शौचालय एवं हैण्डपम्प तोड़ने की शिकायत आवेदिका द्वारा कलेक्टर को की गई है, जिसकी जांच हेतु कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय को भेजा गया है । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 पटवारी को बचाने की नीयत से आदेश पत्रिकाओं में ओवर रायटिंग कर आवेदिका को बेदखल किये जाने संबंधी आदेश पारित किया गया है ।

(7) हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के पत्र कमांक 1056 दिनांक 26–10–2013 के पालन में दिनांक 26–12–2013 को आवेदिका का आवासीय मकान तोड़कर अतिक्रमण हटाने का पंचनामा बनाया गया है, जबकि दिनांक 26–10–2013 का कोई भी आदेश या आदेश पत्रिका रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, फिर भी पटवारी द्वारा आवेदिका को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये आवेदिका को अतिक्रमणकारी बताया है ।

(8) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभिलेख एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपील निरस्त की गई है और आयुक्त द्वारा भी उनके समक्ष उठाये गये वैधानिक बिन्दुओं को अनदेखा कर आवेदिका की अपील निरस्त की गई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर, तामीली कराई गई है, किन्तु आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई और न ही उसके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया है। अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को

प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है–:

''धारा 50–तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

2012 आर.एन. 391 ओम प्रकाश विरूद्ध मनोहर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 50–व्याप्ति निचले न्यायालयों के आदेश वैधानिक तथा उचित–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–9–2017 स्थिर रखा जाता हे । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर